परिशिष्ट

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

1. **योजना का नाम** : मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

2. **योजना का प्रारंभ** : 16 नवम्बर, 2017 (**यथा संशोधित 23 अप्रेल, 2018**)

3. **योजना का उद्देश्य** : योजना का उद्देश्य कृषक पुत्री/पुत्र द्वारा स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है जिसमें कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. **योजना का क्रियान्वयन**: स्वरोजगार योजनाएं संचालित करने वाले समस्त 12 विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने–अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जायेगा। इस योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। इन निर्देशों के अन्तर्गत विभाग पूरक निर्देश जारी कर सकेंगे।

5. **पात्रता** :

   5.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

   5.2 आवेदक :

   5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

   5.2.2 न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

   5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।

   5.2.4 किसान पुत्री/पुत्र हो अर्थात जिनके माता, पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता न हो।

   5.2.5 आय सीमा का कोई बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।

5.2.6 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

5.2.7 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

5.2.8 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

5.3 पात्र परियोजनाएं :

5.3.1 योजनान्तर्गत उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाएं पात्र होंगी।

5.3.2 कृषि आधारित परियोजनाऐं–एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाईड्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राईस मिल, आईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शॉर्टिंग व अन्य कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजनाओ को प्राथमिकता है।

5.3.3 समस्त प्रकार के वाहन क्रय प्रतिबंधित होंगे परन्तु कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनान्तर्गत मशीन/उपकरण वाहन क्रय किया जाता है तो वाहन का RTO पंजीयन व्यवसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को शासन की मार्जिन मनी/ब्याज अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।

6. **वित्तीय सहायता** :

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 02 करोड़ होगी।

6.2 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी ।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से,

अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम रुपये 5 लाख प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान देय होगा।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गांरटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रकिया :

7.1 आवेदक द्वारा एमपी–ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र–1 में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। पूर्ण/अपूर्ण आवेदन की सूचना 15 दिवस के अन्दर आवेदक को दी जायेगी।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित 10 लाख से कम की परियोजना के लिए जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सामान्य परियोजना प्रतिवदेन) प्रपत्र–2 अथवा प्रपत्र–3 में तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी । यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना 10 लाख या अधिक है तो डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :

8.1 सभी संबंधित विभागों में प्राप्त आवेदन पत्र 30 दिवस के अन्दर योजनान्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

8.2 आवेदन पत्रों निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला टास्कफोर्स समिति गठित होगी –

(अ) 10 लाख से 2 करोड़ तक की परियोजनाओं के आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए –

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
3.	कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य

4. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि सदस्य

5. संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव

टीपः–आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/ प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

(ब) 10 लाख से कम की परियोजनाओं के आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए –

1. संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख – अध्यक्ष
2. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधि – सदस्य
3. कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि – सदस्य
4. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि – सदस्य
5. संबंधित विभाग के योजना प्रभारी – सदस्य–सचिव

8.3 जिला टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों को निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जावेगा।

8.4 उद्योग (विनिर्माण),सेवा एवं व्यवसाय इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE/CGFMU) के माध्यम से दी जावेगी एवं बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (collateral security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.5 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. RBI/FIDD/2017-18/56 Master Direction FIDD.MSME & NFS.12/06.02.31/2017-18 दिनांक 24 जुलाई 2017 की कंडिका 5.4 में बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टेण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा (रु. 5 लाख तक का प्रकरण दो सप्ताह में, रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख तक का प्रकरण तीन सप्ताह में तथा रु. 25 लाख से अधिक का प्रकरण छः सप्ताह में) के अन्तर्गत ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिये ।

8.6 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.7 योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्कफोर्स समिति के द्वारा की जावेगी।

9. **<u>प्रशिक्षण</u>** :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10 मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी :

10.1 परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) तथा BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 18 लाख) देय होगी तथा शेष मार्जिन मनी की राशि हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।

10.2 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.3 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप– स्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करे लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिये और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिये कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11 **वित्तीय प्रवाहः**–

11.1 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् परियोजना की पूंजीगत लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिनमनी अनुदान राशि क्लेम की जायेगी। इस हेतु प्रदेश के लीड बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जायेगी। बैंक योजनांतर्गत

राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे। ऐसें विभाग जो पूर्व से संचालित स्वरोजगार योजना में मार्जिन मनी अनुदान राशि जिला कार्यालयों को आवंटित करते है एवं जिला कार्यालयों द्वारा बैंको को हितग्राही के पक्ष में सीधे हस्तांतरित की जाती है, वह इस योजनान्तर्गत भी उसी प्रक्रिया को लागू कर सकते है।

11.2 ऋण वितरण एवं इकाई स्थापित होने के पश्वात् उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किये जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जायेगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के अन्तर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे।

12 **विविध** :

12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी के प्रकरणों पर विचार किया जा सकता है परंतु भागीदारी एक ही परिवार के सदस्य के बीच मान्य नहीं होगी। समस्त भागीदारों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।

12.2 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से है, जो ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) अंतर्गत मान्य हैं।

12.3 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

12.4 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गयी सहायता भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।

12.5 जिला टास्कफोर्स समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जावेंगे।

12.6 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग सक्षम होगा।